संख्या-127/2025/1047/सैंतीस-2-2025-1(16)/2024

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
2- **निदेशक,**
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-21 जुलाई, 2025

विषयः-**अनुदान संख्या 83 के अधीन सूकर पालन की योजना (रा.90/ला.10) के संचालन हेतु गाइडलाईन्स।**

महोदय,

अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में से 20 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है। आर्थिक व सामाजिक स्थिति में कमजोर होने के कारण अनुसूचित जाति के गरीब महिला/पुरुष की आय में वृद्धि व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 83 के अधीन सूकर पालन की योजना (रा.90/ला.10) का प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी गाइडलाइन्स निम्नवत् हैः-

सूकर पालन की योजना (रा.90/ला.10) (रा.यो.)

1. **योजना की पृष्ठभूमि :-**

उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 24.14 करोड़ है, जिसमें से 20 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है। आर्थिक व सामाजिक स्थिति में कमजोर होने के कारण अनुसूचित जाति के गरीब महिला/पुरुष की आय में वृद्धि व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अनुदान संख्या 83 के अधीन सूकर पालन की योजना का संचालन प्रस्तावित है। योजना के संचालन से प्रदेश के अनुसूचित जाति के पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की प्रबल सम्भावना है।

2. **योजना का उद्देश्य :-**

प्रदेश के अनुसूचित जाति के महिला/पुरुष की आय में वृद्धि व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत सूकर पालन की योजना के संचालन से प्रदेश के अनुसूचित जाति के पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. **<u>योजना का स्वरुप</u> :-**

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जापानी इन्सेफेलाइटिस रोग से मुक्त 37 जनपदों में प्रश्नगत योजना संचालित की जानी है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 218 उन्नत नस्ल के सूकर इकाईयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है (प्रति इकाई 01 नर एवं 10 मादा सूकर)। योजनान्तर्गत प्रति इकाई राज्यांश (90 प्रतिशत) धनराशि रू0 1,32,660/- एवं लाभार्थी अंश (10 प्रतिशत) धनराशि रू0 14,740/- है इस प्रकार कुल इकाई लागत धनराशि रू0-1,47,400/- है। योजनान्तर्गत प्रति इकाई लागत का विवरण निम्नानुसार है:-

(धनराशि रूपये में)

क्र० स०	**विवरण**	**सूकरों की संख्या**	**व्यय की जाने वाली धनराशि**
1	नर वयस्क उन्नत नस्ल के सूकर का मूल्य रु0-10000/- प्रति सूकर	01	10,000.00
2	उन्नत नस्ल की मादा सूकर का मूल्य रु0-8500/- प्रति सूकर	10	85,000.00
3	बीमा 7.5 प्रतिशत की दर से (लगभग)	11	8,000.00
4	परिवहन तथा बर्तन आदि पर व्यय		5,000.00
5	औषधि, पोषक तत्व, कृमिनाशक दवापान आदि पर व्यय		1,000.00
6	राशन/आहार पर व्यय		13,400.00
7	जाली युक्त सूकर बाड़ा/आवास की व्यवस्था हेतु		25,000.00
योग			**1,47,400.00**

4. **<u>योजना का आच्छादन क्षेत्रः</u>-**

वर्तमान में यह योजना उत्तर प्रदेश के जापानीज इन्सेफेलाइटिस रोग से मुक्त 37 जनपदों में संचालित की जायेगी।

5. **<u>वित्तीय/भौतिक लक्ष्यः</u>-**

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 37 जनपदों में बजट की उपलब्धतानुसार कुल 218 इकाईयों की स्थापना कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

6. **<u>आवेदन हेतु लाभार्थियों की पात्रताः</u>-**

जनपद अन्तर्गत स्थायी रूप से निवास कर रहे 18 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाति के आवेदकों का चयन योजनान्तर्गत किया जायेगा। आवेदकों के पास आबादी से दूर सूकर पालने हेतु उचित व्यवस्था होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में विधवा निराश्रित महिला को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन प्रक्रिया में 03 प्रतिशत दिव्यांगजन को भी सम्मिलित किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगा। लाभार्थी चयन में महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर (उपलब्धता के अनुसार) वरीयता दी जायेगी, जिससे उनको स्वावलम्बी बनाया जा सके। लाभार्थी चयन में जनपद स्तर पर निर्धारित लक्ष्य से 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभार्थियों का चयन कर प्रतीक्षा सूची बनायी जायेगी।

7. **<u>लाभार्थी चयन की प्रक्रियाः</u>-**

योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन ग्रामीण स्तर पर "प्रारुप-क" के अनुसार तथा जनपद स्तर पर लाभार्थियों का चयन "प्रारूप-ख" के अनुसार किया जायेगा।

क- **<u>ग्रामीण स्तर पर लाभार्थियों के चयन हेतु समितिः</u>-**

लाभार्थियों के चयन हेतु ग्रामीण स्तरीय समिति निम्नवत् होगी:-

उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	अध्यक्ष
सबंधित पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव
ग्राम प्रधान	सदस्य

ख- **<u>जनपद स्तर पर लाभार्थियों के चयन हेतु समितिः</u>-**

लाभार्थियों के चयन हेतु जनपद स्तरीय समिति निम्नवत् होगी:-

मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव
उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य/पशुधन विकास	सदस्य

ग्रामीण स्तर से "प्रारूप-क" पर प्राप्त सूची के आधार पर निर्धारित लक्ष्य से 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतीक्षारत लाभार्थियों का चयन जनपद स्तर पर किया जायेगा। चयनित लाभार्थियों की सूची "प्रारूप-ख" पर हस्ताक्षरित कर चयन समिति द्वारा निदेशालय को प्रेषित की जायेगी। जनपद स्तर पर चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय बेवसाइट पर भी अपलोड की जायेगी। चयन समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं सहायता समूह, एफ०पी०ओ०/राष्ट्रीय आजीविका मिशन के इच्छुक एवं कुशल सूकर पालकों को भी चयनित कर सकता है।

"ग्रामीण स्तर पर लाभार्थी चयन का प्रारूप-क"

ग्राम एवं जनपद का नामः-

योजना का नामः-

क्र० सं०	लाभार्थी का नाम	पिता /पति का नाम	जाति वर्ग	ग्राम/वि०ख०	मो० नं०	आधार संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	आई०एफ० एस०सी० कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ग्राम प्रधान ह०/- पशुचिकित्साधिकारी ह०/- उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी ह०/-

"जनपद-स्तर पर लाभार्थी चयन का प्रारूप-ख"

जनपद का नामः-

योजना का नामः-

क्र० सं०	लाभार्थी का नाम	पिता /पति का नाम	जाति वर्ग	ग्राम/वि०ख०	मो० नं०	आधार संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	आई०एफ० एस०सी० कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

उपमु० पशुचिकित्साधिकारी ह०/- मु०पशुचिकित्साधिकारी ह०/- मु०विकास अधिकारी ह०/-

8. **<u>योजना के क्रियान्वयन का विस्तृत विवरणः</u>-**

(क) प्रथम किश्त के रूप में जाली युक्त सूकर बाड़ा/आवास की व्यवस्था हेतु लाभार्थी के खाते में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से रू0 25,000/- की धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी। लाभार्थी द्वारा उक्त धनराशि का उपयोग जाली युक्त सूकर बाड़ा/आवास की व्यवस्था हेतु किया जायेगा। सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी अथवा उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा बाड़ा/आवास का सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के उपरान्त प्रति इकाई लाभार्थी अंश रू0 14,740/- की धनराशि उपलब्ध कराये गये लाभार्थी के बचत खाते में लाभार्थी द्वारा जमा की जायेगी। इसके पश्चात् ही राज्यांश की अवशेष धनराशि रू0 1,07,660/- में से रू0 22,400/- की धनराशि मुख्य पशुचिकित्साधिकारी स्तर पर रोकते हुए बची हुई धनराशि रू0 85,260/- को लाभार्थी के खाते में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से जमा कराया जायेगा। राज्यांश की उक्त धनराशि रू0 85,260/- में लाभार्थी अंश रू0 14,740/- सम्मिलित कर कुल धनराशि रू0 1,00,000/- में से रू0 95,000/- की धनराशि से 01 नर एवं 10 मादा उन्नत नस्ल के सूकरों का क्रय करते हुए अवशेष धनराशि रू0 5,000/- परिवहन तथा बर्तन आदि पर व्यय की जायेगी।

(ख) मुख्य पशुचिकित्साधिकारी स्तर पर रोकी गयी धनराशि रू0 22,400/- से मानक मद 39-औषधि तथा रसायन में धनराशि रू0 1,000/- प्रति इकाई की दर से आवश्यक औषधि, पोषक तत्व, कृमिनाशक दवापान आदि का नियमानुसार क्रय कर लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग) मानक मद 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत धनराशि रू0 8,000/- से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत बीमा कम्पनियों से सूकरों का एक वर्ष का बीमा कराया जायेगा। आगामी वर्षों का बीमा लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(घ) मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में धनराशि रू0 13,400/- से उन्नत नस्ल के सूकरों हेतु सूकर राशन/आहार नियमानुसार क्रय किया जायेगा एवं सूकर क्रय से पूर्व ही लाभार्थी को प्रथम बार सूकर राशन उपलब्ध कराया जायेगा। आगामी वर्षों में सूकर राशन/आहार की व्यवस्था लाभार्थी द्वारा स्वयं की जायेगी।

9. **<u>विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का विवरण</u>:-**

क्र०	मानक मद	प्रस्तावित कार्य
1	08-कार्यालय व्यय	कार्यालय में उपयोगार्थ आदि पर व्यय।
2	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	कार्यालय में उपयोगार्थ फार्मों की छपाई आदि पर व्यय
3	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	योजना का प्रचार-प्रसार/विज्ञापन आदि पर व्यय
4	39-औषधि तथा रसायन	नर/मादा सूकरों की विकित्सा/दवापान आदि पर व्यय
5	42-अन्य व्यय	बीमा, परिवहन, बर्तन आदि पर व्यय
6	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	नर/मादा सूकरों का क्रय (नर सूकर रू0 10,000/- एवं मादा सूकर रू0 8,500/- प्रति सूकर) एवं राशन/आहार का क्रय किया जायेगा तथा जाली युक्त सूकर बाड़ा/आवास की व्यवस्था की जायेगी।
7	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के कय से संबंधित व्यय
8	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का कय	कम्प्यूटर से सम्बन्धित अनुरक्षण एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी आदि पर व्यय

10. **<u>योजना का संचालन</u>:-**

योजना का संचालन निम्न विवरणानुसार किया जायेगा:-

10.1- योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर सम्भावित सफल आवेदकों से आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

10.2- प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदकों का क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन किया जायेगा। आवेदक के पास आबादी क्षेत्र से उचित दूरी पर पूर्व निर्मित सूकर बाड़ा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अथवा सूकर बाड़ा बनाने का स्थान उपलब्ध होना चाहिये। सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदक वास्तविक सूकर पालक हो तथा आगामी 03 वर्षों तक सूकर पालन का कार्य अवश्य करे। इसके अतिरिक्त समय-समय पर दिये गये विभागीय निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। योजना की सफलता हेतु उपयुक्त/योग्य लाभार्थी का चयन किया जाना अनिवार्य होगा।

10.3- योजनान्तर्गत लाभार्थी राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) अथवा किसी अन्य राजकीय योजना से लाभान्वित नहीं होना चाहिए।

10.4- आवेदन पत्र के साथ ही रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त किया जायेगा कि आवेदक न्यूनतम 03 वर्षों तक सूकर पालन का कार्य अवश्य करेगा तथा चयन होने के एक माह के अन्दर क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी/उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के निर्देशानुसार जाली युक्त सूकर बाड़ा/आवास की व्यवस्था लाभार्थी द्वारा पूर्ण कर ली जायेगी। अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी धनराशि लाभार्थी को वापस करनी होगी।

10.5- सूकर बाड़े का निर्माण पूर्ण होने का सत्यापन क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी/उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा किये जाने के उपरान्त ही लाभार्थी को धनराशि रू0 85,260/- का हस्तांतरण किया जायेगा, जिससे लाभार्थी एक माह के अन्दर क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी/उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की देखरेख में राजकीय सूकर प्रक्षेत्रों से उपलब्धता के अनुसार अथवा स्थानीय बाजार से उन्नत नस्ल के 01 नर एवं 10 मादा सूकरों का क्रय करेगा तथा अवशेष धनराशि रू0 5,000/- से सूकरों के परिवहन व बर्तन इत्यादि का व्यय समायोजित करेगा।

10.6- सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सूकर क्रय से पूर्व ही उनके स्तर पर रोकी गयी धनराशि रू0 22,400/- में से रू0 13,400/- की धनराशि से सूकर राशन/आहार का नियमानुतार क्रय कर चयनित लाभार्थी को उपलब्ध करा दिया जाये। आगामी वर्षों में सूकर राशन/आहार की व्यवस्था लाभार्थी द्वारा स्वयं की जायेगी। धनराशि रू0 1,000/- से कृमिनाशक व दस्तरोधी औषधियों का क्रय कर लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा। रू0 8,000/- की धनराशि से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत बीमा कम्पनियों से सूकरों का एक वर्ष का बीमा कराया जायेगा।

10.7- चयनित लाभार्थी को प्रति इकाई उपलब्ध करायी गयी औषधियों से उन्नत नस्ल के क्रय किये गये सूकरों को प्रथम बार चिकित्सा/दवापान क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी/उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा कराया जायेगा तथा छः माह बाद दूसरी बार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चिकित्सा/दवापान/टीकाकरण कराने हेतु निकटतम पशुचिकित्साधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी को निर्देशित किया जायेगा।

10.8- लाभार्थी को अवगत कराया जायेगा कि स्थापित इकाई में यदि किसी सूकर की मृत्यु होती है तो उसकी सूचना निकटतम पशुचिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायी जाय। पशुचकित्साधिकारी द्वारा मृत सूकर का शव परीक्षण कर बीमा क्लेम हेतु दावा प्रस्तुत कर बीमा क्लेम प्राप्त होने के 01 माह के अन्दर उस धनराशि से नये उन्नत नस्ल के सूकर का क्रय किया जायेगा।

11. **<u>योजना का पर्यवेक्षणः</u>-**

जनपद अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-।। को भी उपलब्ध करायी जायेगी। समय-समय पर योजनान्तर्गत स्थापित की गयी इकाईयों का सबंधित अपर निदेशक ग्रेड-।। द्वारा निरन्तर अनुश्रवण व सत्यापन किया जायेगा।

12. योजनान्तर्गत आवंटित होने वाली धनराशि का उपयोग उपरोक्त निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के इतर धनराशि व्यय करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

13. बजट अवमुक्त होने पर योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। बजट अवमुक्त होने तक लाभार्थी चयन प्रक्रिया प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जायेगी। अन्यथा की स्थिति में संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगा।

14. **<u>योजना से लाभः</u>-**

- प्रथम वर्ष में प्रजनन कार्य हेतु क्रय किये उन्नत नस्ल के सूकर से 03 वर्ष तक प्रजनन कार्य किया जायेगा, जिससे संतति वृद्धि होगी।
- मादा सूकरों से उत्पन्न संतति को बिक्री करने से सूकर पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा।
- प्रदेश स्तर पर अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान होगें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सं0-127/2025/1047(1)/सैंतीस-2-2025-1(16)/2024, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।